INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

मानव तस्करी : प्रांतीय, राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियाँ

डॉ. क्रेसेन्सिया बक्सला,

सहायक प्राध्यापक, स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, महासमुंद (छ.ग.)

Cresencia081@gmail.com

सारांश

सूचना और प्रोद्योगिकी की नित–नई उपलब्धियों के बाद भी मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करने वाली मानव तस्करी की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा से उपजी यह समस्या वैश्विक समस्या है जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित जनजाति वर्ग की महिलाएँ और बच्चियाँ होती हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानूनों और दण्ड का भी प्रावधान है, बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से यह तथ्य समय–समय पर उद्घाटित होता रहा है कि यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित तथ्यों के आधार पर मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर सारगर्भित प्रकाश डालने तथा समाधान उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

की–वर्ड : मानव तस्करी, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रीय रिकार्ड अपराध ब्यूरो, जनजाति महिलाएँ

प्रस्तावना

मानव तस्करी जिसके लिए अंग्रेजी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना जाता है। मानव तस्करी का नेटवर्क पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें शोषण के लिए महिलाओं, बच्चों आदि को खरीदा और बेचा जाता है, उसके बाद उन्हें किसी अन्य राज्य या देश भेज दिया जाता है। बच्चों को बाल मजदूरी करने व महिलाओं को देह व्यापार के लिए बेच दिया जाता है। अधिकांश मामलों में बहला–फुसलाकर लोगों की सौदबाजी की जाती है, जबकि कई बार खुद परिजन पैसों की तंगी या किसी मजबूरी के चलते अपने बच्चे को बेच देते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को 'विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम 'तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंचें, किसी को पीछे न छोड़ें' है। इसी तरह हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।[1]

संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वैश्विक संकटों, टकरावों और जलवायु परिवर्तन के कारण तस्करी के जोखिम बढ़ रहे हैं। क़ानूनी दर्जे के बिना रहने वाले प्रवासियों, निर्धनता में जीने वाले और रोज़गार के अभाव में रह रहे लोग, अक्सर मानव तस्करी के मुख्य शिकार होते हैं।[2]

1. साहित्य की समीक्षा

प्रस्तुत शोध विषय हेतु संबंधित साहित्य की समीक्षा इस प्रकार है–

1.1 संध्या कुमारी (2015) ने झारखंड के बच्चों के प्रवासन और मानव तस्करी पर किये गये अपने अध्ययन में केस स्टडी के आधार पर यह पाया कि बच्चों से अत्यधिक काम लिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और कई तरह से उनका शोषण किया जाता था। वे नियोक्ता के घर या कार्य परिसर तक ही सीमित थे। वे कभी–कभी नियोक्ताओं और अन्य कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न का

शिकार होती थीं। उनके पास इन दुर्व्यवहारों को नज़रअंदाज़ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वे आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक या यौन हों। रेस्क्यू के बाद बच्चों को यह चिंता थी कि कैसे जीवित रहें और अपने परिवार के सदस्यों की मदद करें।[3]

1.2 **रचना (2020)** ने मानव तस्करी के मुद्दों और चुनौतियाँ विषय पर किये गये अपने शोध के निष्कर्ष में बताय है कि मानव तस्करी गतिविधि से निपटने के लिए भारत के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कानून और सम्मेलन उपलब्ध हैं। इन सभी उपकरणों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ–साथ भारत सरकार भी मानव तस्करी की गतिविधि को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ है। ऐसे कई कारक हैं जो मानव तस्करी की गतिविधि को बढ़ा रहे हैं, उन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी वांछित परिणाम या लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव तस्करी की गतिविधि पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। यह कभी नहीं हो सकता।[4]

1.3 देवजाना चिन्नप्पा नंजुंदा, और पुलमघट्टा एन वेणुगोपाल (2020) ने कर्नाटक में यौनकर्मियों पर किये गये अपने अध्ययन में बताया है कि शुरुआती चरण में महिलाएं केवल तस्करी के कारण या जीवन भर अधिक पैसा कमाने के लिए इस नौकरी में कदम रख रही हैं, या रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा अनजाने में दलालों को बेच दी जाती हैं। एक बार जब वे इस दुष्चक्र में फंस जाती हैं, तो कोई अन्य रास्ता नहीं मिलने के कारण महिलाएं केवल यौनकर्मी बनकर रह जाती हैं। अध्ययन में पाया गया है कि उनमें से अधिकांश की तस्करी महाराष्ट्र और गोवा से कर्नाटक में की जा रही है।[5]

1.4 कुमार शुभम (2023) अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलाते हैं कि मानव तस्करी की अवधारणा को रोकने और उन्मूलन के लिए विभिन्न विधायी उपाय हैं लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी यह समाज में एक संगठित अपराध के रूप में पाया जाता है। वर्तमान कानूनों में कई अन्तराल है और उस अन्तराल को भरने के लिए सख्त जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। साक्षरता का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। पीड़ियों के पुनर्वास के लिए राज्य को अभिनव पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए और अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की भी आवश्यकता है।[6]

2. अनुसंधान की विधि

प्रस्तुत शोध पत्र व्याख्यात्मक प्रकृति है जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों को शामिल किया गया है। इस शोध पत्र में डेटा संग्रह हेतु विभिन्न पुस्तकालयों, लेखों, पत्रिकाओं. समाचार–पत्रों की कटिंग, न्यूज पोर्टल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो व संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट सहित विभिन्न ई–माध्यमों को द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में उपयोग किया गया है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है–

- प्रांतीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी की समस्या और वर्तमान स्थिति का पता लगाना।
- मानव तस्करी के कारणों और समाधान पर प्रकाश डालना।
- मानव तस्करी से संबंधित प्रमुख प्रावधानों एवं इसके प्रभाव का पता लगाना।

4. परिकल्पना

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु निम्नलिखित परिकल्पना निर्धारित की गई है–

1. गरीबी और कौशल की कमी मानव तस्करी का मूल कारण है।
2. वैश्विक की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी ज्यादा होती है।

3. मानव तस्करी का प्रभाव मिहलाओं और बच्चियों की यौन उत्पीड़न के रूप में परिलक्षित होता है।

5. मानव तस्करी का आशय

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार; किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती, तस्करी या बंधक बना कर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराये जाते हैं।[7.]

इस परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गैर कानूनी तरीकों से लोगों को किसी और देश की सीमा पार कराना ही मानव तस्करी नहीं होती या किसी देश का बॉर्डर पार करना ही मानव तस्करी को परिभाषित नहीं करता है बल्कि इसमें अन्य गतिविधियाँ भी शामिल होतीं हैं। बाल तस्करी के मामले में मानव तस्करी को परिभाषित करने के लिए किसी भी तरह की हिंसा या जबरदस्ती शामिल नहीं है। बस बच्चों को शोषणकारी परिस्थितियों में शामिल करना ही मानव तस्करी माना जाता है। मानव तस्करी; बलात श्रम, शोषण और वेश्यावृत्ति आदि जैसे कार्यों के लिए व्यक्ति की गितिविधि है। मानव तस्करी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं होती है। मानव तस्करी राष्ट्रीय स्तर पर या एक समुदाय के भीतर भी हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के मामले सर्वाधिक है।

6. विश्व में मानव तस्करी

विश्व में लगभग हर देश में यह समस्या बीते कई दशकों से मुंह बायें खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक अनुमान के अनुसार, हर साल 2 मिलियन से अधिक लोग मानव तस्करी के शिकार होते हैं। संयुक्तस राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी 2019 के आंकड़ो की मानें तो विश्वभर में मानव तस्करी से लगभग 25 मिलियन वयस्क तथा बच्चे पीड़ित हैं। लगभग 60ः मामलों में पीड़ितों को विदेश ले जाने के बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है।[8.]

बचपन बचाओ आंदोलन के अनुसार मानव तस्करी अब पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी है और यह तीसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक उद्यम है, जो सालाना अनुमानित 150 बिलियन डॉलर का उत्पादन करता है।[9.]

7. भारत में मानव तस्करी

भारत में मानव तस्करी की समस्या नासूर बनती जा रही है। अमेरिका ने मानव तस्करी संबंधी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को टीयर–2 श्रेणी के देशों में कायम रखा है। अमेरिकी सरकार की दलील है कि मानव तस्करी रोकने को भारत में न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। हालांकि वह इस दिशा में प्रगति जरूर कर रहा है। टीयर–2 श्रेणी उन देशों के लिए है जहां सरकारें टीवीपीए के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती हैं। लेकिन वह उस मानक तक पहुंचने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। टीवीपीए वर्ष 2000 में लाया गया कानून है जिसका पूरा नाम ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट है।[10.]

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल औसतन 44500 बच्चे गुम हो जाते हैं। उनमें से कई बच्चों को यौन–शोषण के लिए, कई को बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर भीख मंगवाने के लिए और कई को मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहों के पास पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि एसे मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। कई बार गरीब मां–बाप खुद ही अपने बच्चों को पैसे के लालच में बेच देते हैं। लड़कियों को वेश्यालयों में देह व्यापार के लिए विवश किया जाता है। बेरोजगारी के चलते कई लोग इस धंधे में लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार विगत एक दशक में भारत में हुई मानव तस्करी में 76 फीसदी लड़कियाँ और महिलाएँ हैं। मानव तस्करी का धंधा कम समय में भारी मुनाफा कमा लेने का जरिया है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी को दुनिया का तीसरा बड़ा संगठित अपराध माना गया है। मनिपुत्र में अनन्या तिवारी अपने शोध आलेख में बताती हैं कि दुनिया भर में प्रकाशित कई रिपोर्टों और आंकड़ों के अनुसार, भारत वह क्षेत्र है जहां मानव तस्करी लगातार फल–फूल रही है। 2022 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्टों के हवाले से वे लिखती हैं, भारत में लगभग आठ मिलियन तस्करी पीड़ितों की अनुमानित उपस्थिति है, जिनमें से अधिकांश बंधुआ मजदूर हैं। तस्कर समाज के सबसे वंचित वर्गों को लक्षित करते हैं, इस प्रकार उन्हें सबसे कमजोर बनाते हैं। भारत में सबसे अधिक मानव तस्करी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में होती हैं।[11.]

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से महिलाओं व बच्चियों की तस्करी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से महिलाओं व बच्चियों की तस्करी बढ़ी है। कोरोना काल के बाद जब लोगों की आय घटी है तो महिलाएं और बच्चियां बेची गईं। आदिवासी महिलाओं को शहरों में काम दिलाने के नाम पर ले जाया जाता है। वहां जब उन्हें काम नहीं मिलता तो उनके साथ गलत चीजें होती हैं। इससे बचने के लिए महिला आयोग ने एंटी ट्रैफिकिंग सेल बनाया है, जो पहले नहीं था।[12.]

TABLE 1.

Human Trafficking Cases (IPC) – 2021

S.N.	State/UT	Cases Reported			Mid-Year Projected Population (In Lakhs)
		2019	2020	2021	
1	Andhra Pradesh	245	171	168	528.5
2	Arunachal Pradesh	0	2	3	15.4
3	Assam	201	124	203	351.6
4	Bihar	106	75	111	1237.0
5	Chhattisgarh	50	38	29	296.1
6	Goa	38	17	15	15.6
7	Gujarat	11	13	13	700.8
8	Haryana	15	14	37	296.0
9	Himachal Pradesh	11	4	5	74.1
10	Jharkhand	177	140	92	386.4
11	Karnataka	32	13	13	669.9
12	Kerala	180	166	201	355.4
13	Madhya Pradesh	73	80	89	848.6
14	Maharashtra	282	184	320	1247.6
15	Manipur	9	6	1	31.7
16	Meghalaya	22	1	1	33.0
17	Mizoram	7	0	0	12.2
18	Nagaland	3	0	0	22.0
19	Odisha	147	103	136	457.9
20	Punjab	19	17	15	304.0
21	Rajasthan	141	128	100	795.7
22	Sikkim	0	1	0	6.8
23	Tamil Nadu	16	11	3	764.8
24	Telangana	137	184	347	377.7

25	Tripura	1	1	1	40.8
26	Uttar Pradesh	48	90	103	2317.0
27	Uttarakhand	20	9	16	114.4
28	West Bengal	120	59	61	982.9
TOTAL STATE(S)		2111	1651	2083	13284
29	A & N Islands	0	0	0	4.0
30	Chandigarh	2	2	2	12.1
31	DNH and Daman & Diu@	0+	2	0	11.1
32	Delhi UT	93	53	92	207.0
33	Jammu & Kashmir @	0*	2	4	134.4
34	Ladakh @	-	0	0	3.0
35	Lakshadweep	0	0	0	0.7
36	Puducherry	2	4	8	15.8
TOTAL UT(S)		97	63	106	388.1
TOTAL (ALL INDIA)		2208	1714	2189	13671.8
स्त्रोत– राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) *ncrb.gov.in/sites/default/files/CII-2021/Table%2014.1.pdf*					

8. छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी

छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्रों जिसमें सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कोरिया और रायगढ़ जिले आदि आते हैं में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले प्रकाश में आते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में मानव तस्करी का कारोबार होता है। इनमें जशपुर और सरगुजा से अधिकांश पीड़ित झारखंड के माध्यम से दिल्ली और देश के उत्तरी हिस्सों में भेजे जाते हैं। वर्ष 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मजबूर श्रम के 191 और यौन शोषण व वेश्यावृत्ति के 41 मामले दर्ज हुए थे। जबकि एक मामला जबरन शादी और 31 मामले घरेलू नौकरी के थे। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 269 लोग मानव तस्करी का शिकार हुए थे, जिनमें 60 लड़के और 78 लड़कियां 18 साल से कम उम्र के थे। वहीं 77 पुरुष और 54 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक थी। छत्तीसगढ़ में साल 2017 में 6649 महिलाओं की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वहीं 2018 में ये आंकड़ा 7383 हुआ और 2019 तक 9412 पहुंच गया।[13.]

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की दर्ज रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ मानव तस्करी में शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल है। वर्ष 2016 से 2018 तक 167 मामले सामने आए। वर्ष 2019 में 50, वर्ष 2020 में 38 और वर्ष 2021 में 29 मामले दर्ज किये गये। लेकिन इन दर्ज मामलों की तुलना में मीडिया रिपोर्ट में प्रकाश में आने वाले मामलों की संख्या कहीं ज्यादा रहती है।[14.]

9. मानव तस्करी के विरुद्ध उठाये गये कदम

मानव तस्करी के विरुद्ध शासकीय और गैर शासकीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत में उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में आरपीएफ ने आपरेशन–आहट के तहत अभियान चलाया। कमान और नियंत्रण की एक संगठित अवसंचरना होने के नाते आरपीएफ की पहुंच पूरे देश में है। समय बीतने के साथ–साथ आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा सम्बंधी शिकायतों का समाधान करने की कारगर प्रणाली विकसित कर ली है। पिछले पांच वर्षों (2017, 2018, 2019, 2020 और 2021) के दौरान आरपीएफ ने 2178 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इसके साथ ही 65000 से अधिक बच्चों और तमाम महिलाओं व पुरुषों को बचाया तथा उन्हें सुरक्षा दी। स्टेशनों और गाड़ियों

में अपनी रणनीतिक तैनाती, पूरे देश में अपनी पहुंच और पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) तथा अन्य इकाइयों के प्रयासों में तेजी लाने वाली प्रणाली का इस्तेमाल करते हुये, आरपीएफ ने मानव तस्करी के विरुद्ध "ऑपरेशन आहट" (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) नामक अभियान शुरू किया। इस पहल के अंग के रूप में आरपीएफ ने हाल देशभर में 750 एएचटीयू की स्थापना की है, जो पुलिस, थानों में कार्यरत एएचटीयू, जिला और राज्य स्तरों पर, खुफिया इकाइयों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करेंगी तथा रेलगाड़ियों के जरिये होने वाली मानव तस्करी के खिलाफ कारगर कार्रवाई करेंगी।[15]

आरपीएफ ने एसोसियेशन ऑफ वॉलंटेरी ऐक्शन (एवीए) नामक गैर–सरकारी संगठन के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संगठन को बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह संगठन प्रशिक्षण के जरिये आरपीएफ की सहायता करेगा तथा आरपीएफ को मानव तस्करी के बारे में सूचनायें भी देगा। इन प्रयासों में तेजी लाने के लिये मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे के जरिये जुलाई 2022 में महीने भर का अभियान चलाया गया। आरपीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य पुलिस, स्थानीय कानूनी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि तस्करी रोकने तथा तस्करी के मामलों के बारे में मिली सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से भी आग्रह किया गया कि वे आरपीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई में हिस्सा लें, ताकि इस दिशा में समवेत प्रयास हो सकें। महीने के दौरान ऑप्रेशन–आहट में 151 नाबालिग लड़कों, 32 नाबालिग लड़कियों (कुल 183 नाबालिगों) और तीन महिलाओं को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। साथ ही 47 मानव तस्कर भी धरे गये। इस अभियान ने सभी हितधारकों को साथ आने का मंच उपलब्ध कराया कि वे रेल के जरिये की जाने वाली मानव तस्करी के खिलाफ लामबंद हों। अभियान के दौरान विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच विकसित समझ से भविष्य में भी मानव तस्करी के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई में मदद मिलेगी।[16]

10. भारत में अवैध व्यापार से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है। अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रमुख विधान है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू हो गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 और 370 क आईपीसी से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मानव तस्करी के खतरे का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिनमे अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण, गुलामी, दासता, या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।[17]

14 नवंबर, 2012 से लागू बाल संरक्षण अधिनियम, 2012, बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इसमें गहन और साधारण यौन उत्पीड़न सहित यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों की सटीक परिभाषाएं दी गई हैं। महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट विधान हैं जिनमे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 शामिल हैं और भारतीय दंड संहिता में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित धारा 372 और ३७३ सहित अन्य विशिष्ट कानून अधिनियमित किए गए हैं। राज्य सरकारों ने इस मुद्दे से निपटने के लिए विशिष्ट कानून भी बनाए हैं। (जैसे पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)[18]

11. मानव तस्करी और यौन शोषण

यूएन ड्रग्स एवं अपराध निरोधक कार्यालय (UNODC) द्वारा प्रकाशित, 'मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट–2022' के अनुसार, मानव तस्करी के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों की जानकारी, पीड़ित या उनके परिवार सामने लाते हैं। प्रशासनिक व क़ानूनी एजेंसियों को तस्करी के भुक्तभोगियों की पहचान व संरक्षण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में, एक चिन्ताजनक रुझान है। रिपोर्ट दर्शाती है कि लगभग 60 प्रतिशत पीड़ित महिलाएँ और लड़कियाँ हैं जोकि यौन शोषण के पता लगाए गए पीड़ितों का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं, उन्हें तस्करों के हाथों अक्सर यौन शोषण व उच्च स्तर की हिंसा का सामना करने की अधिक सम्भावना है। दूसरी ओर, पुरुषों और लड़कों को जबरन मज़दूरी व आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए, उनका शोषण बढ़ रहा है।[19].

12. जनजाति महिलाएँ सबसे ज्यादा प्रभावित

मानव तस्करी से सबसे ज्यादा प्रभावित जनजाति महिलाएँ होती हैं। समय–समय पर मीडिया रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजाति क्षेत्रों की महिलाएँ सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डा. रामदयाल मुंडा, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (टीआरआई) द्वारा कराये गए शोध के हवाले से शीर्ष मीडिया संस्थान हिन्दुस्तान ने यह तथ्य प्रकाश में लाया है कि झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाले बच्चियों में 90 प्रतिशत आदिवासी हैं। वहीं दस प्रतिशत दलित समुदाय से हैं। टीआरआई के लिए यह शोध भारतीय किसान संघ (अब बाल कल्याण संघ) ने किया। टाआरई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से ज्यादातर बच्चियों को दिल्ली, हरियाणा व पंजाब पहुँचाया जाता है। इसके अलावा इन्हें बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम भी भेजा जाता है। हरियाणा और पंजाब में जैसे राज्य में ये जबरन शादी के लिए बेची जाती हैं जबकि अन्य राज्यों में इनकी ट्रैफिकिंग घरेलू काम के लिए होती है। इन राज्यों में इन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से खरीदा–बेचा जाता है। यूपी में काली उद्योग के लिए झारखंड के बच्चों की तस्करी काफी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी की शिकार इन बच्चियों में 30 प्रतिशत हाई स्कूल तक पढ़ी होती हैं जबकि 30 प्रतिशत मीडिय और 14 प्रतिशत प्राइमरी पास होती हैं। 26 प्रतिशत अशिक्षित हैं। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में पलामू–गढ़वा जिले के 11 हजार बाल मजदूर कार्यरत हैं। रिपोर्ट के अनुसार नक्सली संक्ट और खनन क्षेत्रों में विस्थापन मानव तस्करी की बड़ी वजह है। यहां के खूंटी क्षेत्र में अनेक मामले एसे भी हैं जिनमें नक्सलियों से तंग महिलाएँ मानव तस्करों के चंगुल में फँस गईं। रिपोर्ट में यह भी तथ्य प्रकास में आया है कि अवैध कोयला कारोबारी स्थानीय महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। यह अध्ययन 2018–19 में कराया गया था।[20.]

आशीष गोस्वामी ने झारखंड के शिबगंज जिले की आदिवासी महिलाओं पर किये गये अपने अध्ययन में बताया है कि श्रम और यौन शोषण के पीड़ितों को तस्करों, घरेलू सेवा नियोक्ताओं, ग्राहकों, दलालों, वेश्यालय मालिकों और भ्रष्ट स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई स्रोतों से हिंसा के खतरों का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों को दोनों रूपों में दोहरी शारीरिक हिंसा का अनुभव होता है। अध्ययन के पीड़ितों को तस्करों के हाथों और छापे के दौरान कानून प्रवर्तन के हाथों दोहरी शारीरिक हिंसा का अनुभव होता है। अपने पिछले दर्दनाक अनुभवों से निपटने के अलावा, पूर्व तस्करी पीड़ितों को अक्सर गांवों में सामाजिक अलगाव का अनुभव होता है। कलंक, सामाजिक बहिष्कार और असहिष्णुता अक्सर पीड़ितों के लिए अपने समुदाय में एकीकृत होना मुश्किल बना देते हैं। पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अनुभव होता है जो धमकियों, भय और अवसाद, अशांति, अत्यधिक तनाव और भावनात्मक हिंसा को प्रेरित करते हैं। अंततः, इन दबावों के तहत, पीड़ित सीखने की निराशाजनक और बेबसी की स्थिति में आ जाते हैं।[21.]

यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश के अनुसार अभी तक सामने आए मामलों में पीड़ितों में अधिक संख्या, महिलाओं और बच्चों की है, जिनमें से अनेक को क्रूर हिंसा, जबरन मज़दूरी और भयानक यौन शोषण व दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। हमें इनसानों को उपभोग की चीज़ में तब्दील करने वाले इन अपराधियों को न्याय के कटघरे तक पहुँचाने के लिए, क़ानून प्रवर्तन को मज़बूत करना होगा. और हमें, पीड़ितों को अपनी ज़िन्दगियाँ फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने होंगे।[22]

निष्कर्षतः मानव तस्करी के अनेक कारण हैं। इनमें गरीबी, अशिक्षा, कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की लालसा, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, नक्सल हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से शामिल है। इन समस्याओं के निदान में ही समाधान संभव है।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023: 11 जनवरी, Available at: hindicurrentaffairs.adda.247com/national-human-trafficking-awareness-day--2023observed-on-11th-january/ Posted byvikash Published On January 11th, 2023
2. संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र समाचार, मानव तस्करी से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील Available at: https://news.un.org/hi/story/1070097/07/2023
3. Kumari, Sandhya, Migration And Human Trafficking In Children For Labour Purposes A Case Study Of Jharkhand, Thesis Submitted To The University Of Delhi For The Award Of The Degree Of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LAW, FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF DELHI, MAY 2015 Https://Shodhganga.Inflibnet.Ac.In/Bitstream/10603/375805/1/01_Title.Pdf
4. Rachna, Trafficking in human beings: issues and challenges, a thesis submitted to maharshi dayanand university rohtak for the award of the degree of doctor of philosophy in law, faculty of law maharshi dayanand university rohtak (haryana) 2020. Pp. 189-190.
5. Devajana Chinnappa Nanjunda, Pulamaghatta N Venugopal, Boundaries of Contagion: The Unheard Plight of Sex Workers in Karnataka, June 2020Journal of the Anthropological Survey of India 69(1):2277436X2092725 DOI:10.1177/2277436X20927254 https://www.researchgate.net/publication/341843048_Boundaries_of_Contagion_The_Unheard_Plight_of_Sex_Workers_in_Karnataka.
6. कुमार, शुभम, भारत में महिलाओं की तस्करी–कारण एवं निवारण, International Peer-reviewed, Refereed Journals, and Open Access Journal, Volume 11, Issue 6 June 2023 | ISSN: 2320-2882 https://ijcrt.org/papers/IJCRT2306394.pdf
7. www.jagranjosh.com/general-knowledge/meaning-and-reasons-of-human-trafficking-in-hindi-1552652264-2
8. https://www.unodc.org
9. **https://bba.org.in/fight-against-trafficking/**
10. Singh, Bhupendra, मानव तस्करी पर अमेरिका ने भारत को टीयर–2 श्रेणी के देशों में रखा, Published: Fri, 21 Jun 2019 01:42 AM (IST) Updated: Fri, 21 Jun 2019 01:42 AM (IST) www.jagran.com/world/america-america-has-placed-india-in-tier-2-category-countries-on-human-trafficking-19330502.html
11. Tiwari, Ananya, Human trafficking: Or a modern-day slavery, manupatra, Aug 25, 2023,

Available at: articles.manupatra.com/article-details/Human-trafficking-Or-a-modern-day-slavery

12. श्रीवास्तव, मोहनीश, श्छत्तीसगढ़ से मानव तस्करी बढ़ीश्रू छॅ अध्यक्ष बोलीं– जब हर धर्म की महिलाओं को तकलीफ एक, तो कानून अलग–अलग क्यों, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही
Sat, 25 Mar 2023 09:59 PM IST https://www.amarujala.com/chhattisgarh/ncw-chairperson-rekha-sharma-on-women-trafficking-and-muslim-law-in-gpm-2023-03-25
13. By Zee Media Bureau ,दुनिया भर में हो रहा मानव तस्करी का कारोबार, भारत के ये राज्य भी शामिल
Written |Last Updated: Oct 14, 2020, 09:45PM IST
zeenews.india.com/hindi/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/human-smuggling-business-happening-across-the-world-chhattisgarh-also-included/765991
14. ncrb.gov.in/sites/default/files/CII-2021/Table%2014.1.pdf
15. pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847356
16. pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847356
17. https://mea.gov.in/human-trafficking-hi.htm
18. https://mea.gov.in/human-trafficking-hi.htm
19. https://www.unodc.org
20. तिग्गा, आशीष, झारखंडः मानव तस्करों के हाथ बिकने को मजबूर 90 प्रतिशत आदिवासी बच्चियां, क्या होता है इनका, हिन्दुस्तान, ेजए 25 मिइ 2023 05रू48 |www.livehindustan.com/jharkhand/story-90-percent-tribal-girls-in-jharkhand-are-victims-of-human-trafficking-7819464.html
21. Goswami, Sribas, Human Trafficking: A Sociological Study on Tribal Women of Jharkhand, Article in European Researcher · March 2018 DOI: 10.13187/er.2018.1.9, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/323965079
22. www.researchgate.net/publication/323965079_Human_Trafficking_A_Sociological_Study_on_Tribal_Women_of_Jharkhand
23. https://news.un.org/hi/story/2023/07/1070097

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM